



2026:AHC:24677

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 19765 of 2025

Rajesh Kumar

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 8 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Abhishek Vishwakarma, Chandra Prakash Awasthi
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 33

HON'BLE VIKAS BUDHWAR, J.

1. Heard Sri Chandra Prakash Awasthi, learned counsel for the petitioner and Sri Rahul Malviya, learned Standing Counsel, who appears for State-respondents.

2. This court entertained this petition on 07.01.2026 while directing the learned Standing Counsel to obtain instructions and thereafter the matter was fixed for today. Instructions have been supplied by Sri Rahul Malviya, learned Standing Counsel, submits that he is well equipped with the instructions and the instructions are self-sufficient for disposal of the writ petition and he does not propose to file any further affidavit and the petition be decided on the basis of the documents available on record, thus with the consent of the parties, writ petition is being decided at the fresh stage.

3. The case of the writ petitioner is that he was appointed on the post of Panchayat Raj Adhikari at Block Mahua, Tehsil Atarra, District Banda on 19.07.2007. According to the writ petitioner, while he was discharging the duties on the post of Gram Panchayat Adhikari, an order came to be passed by the District Panchayat Raj Adhikari, Banda on 16.05.2025 against the said punishment order, the writ petitioner preferred ***Writ-A No. 11006 of 2025 (Rajesh Kumar v. State of U.P. and 7 others)*** which came to be disposed of on 04.08.2025 while passing the following orders:

"1. Heard.

2. By means of this petition filed under Article 226 of the constitution petitioner has assailed the the order of punishment which is minor in nature as the amount is sought to be recovered under the order impugned.

3. *Learned Standing Counsel submits that petitioner has an efficacious remedy of statutory appeal under the order dated 16.05.2025 and hence petitioner should be directed to avail the same in the first instance.*

4. *In the given facts and circumstances and the legal position where the departmental appeal is available to the petitioner I consider it appropriate to dispose of this petition with the direction to the petitioner to avail the remedy of statutory appeal.*

5. *Hence, this petition stands disposed of with a direction that in the event petitioner prefers statutory appeal before the appellate authority under the relevant discipline and appeal rules within a period of four weeks from today against the order dated 16.05.2025 the same shall be disposed of on merits by means of a reasoned and speaking order and following the procedure as prescribed under the relevant punishment and appeal rules within a further period of two months.*

6. *For a period of three months from today or till the disposal of appeal, whichever is earlier no recovery shall be made from the petitioner pursuant to the order dated 16.05.2025."*

4. Thereafter the writ petitioner preferred an appeal before the Deputy Director (Panchayat) Chitrakoot Dham Mandal Banda, respondent no. 2 on 18.08.2025, copy whereof is already on record as annexure-20 at page 124 of the paper book and the said appeal came to be rejected on 14.11.2025.

5. Questioning the appellate order as well as the punishment order dated 16.05.2025 passed by the District Panchayat Raj Adhikari, Banda, the writ petitioner has been filed the present writ petition.

6. Post passing of the order, today instructions have been forwarded under the signature of District Panchayat Raj Officer, Banda, dated 22.01.2026 which is taken on record and marked as Appendix A.

7. Learned counsel for the writ petitioner has submitted that the order passed by the original authority as well as the order passed by the appellate order cannot be sustained even for a single moment, particularly, when the writ petitioner has not committed any misconduct and there has been no irregularity committed. Submission is that the contentions so sought to be raised by the writ petitioner is not considered in the order dated 16.05.2025 and an appeal stood preferred by the appellate authority which has been rejected without considering the contentions so sought to be raised by the writ petitioner.

8. Submission is that though the appellate order is shown to be longish in

nature but a perusal of the said order would reveal that the appellate authority had required comments from District Panchayat Raj Adhikari, Banda, however, the same was not submitted. Submission is that none of the contentions raised in the memo of appeal has been considered and they have been conveniently overlooked. Contention is that against the punishment order, the writ petitioner had questioned the same in ***Writ-A No. 11006 of 2025 (Rajesh Kumar v. State of U.P. and 7 others)***, however, this Court directed the writ petitioner to avail the remedy under appeal and the appeal came to be preferred which runs from page 124 to 128 being five pages but there has been no consideration in that regard.

9. Learned counsel for the writ petitioner submits that once a statutory right of appeal is a valuable then the contentions ought to have been considered.

10. Learned Standing Counsel on the other hand submits that the writ petitioner has committed an irregularity and that is why the punishment order came to be passed, however, he submits that the appeal has not been considered in correct perspective, according to him, the order be set aside and the matter be remitted back to authority to pass fresh orders.

11. I have heard learned counsel for the parties and gone through the records carefully.

12. Facts are not in issue. It is not in issue that the writ petitioner is a Gram Panchayat Raj Adhikari, owing to certain allegations and complaints, an order came to be passed on 16.05.2025 by District Panchayat Raj Officer against which the writ petitioner preferred ***Writ-A No. 11006 of 2025 (Rajesh Kumar v. State of U.P. and 7 others)*** which came to be disposed of on 04.08.2025 relegating the writ petitioner to prefer an appeal, and thereafter the writ petitioner preferred appeal on 18.08.2025 which has been rejected by virtue of the order impugned dated 14.11.2025. The contention set forth in the appeal reads as under:

"महोदय,

प्रस्तुत अपील उपरोक्त वर्णित अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.05.2025 से क्षुब्ध होकर निम्नांकित आधारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

अपील के आधार

1- यह कि उपरोक्त वर्णित अधिकारी द्वारा पारित आदेश दि०-16.05.2025 विधिक तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों

का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया है। जो विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण, न्यायहित में पुनः विचार किया जाना आवश्यक है।

2- यह कि प्रश्नगत अधिकारी द्वारा आरोप सं0-1 के निस्तारण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य के रूप में संलग्न किये गये साक्ष्यों का विधिवत परिशीलन नहीं किया गया है। पात्र जाँच अधिकारी की दैर्घभावना से ग्रस्त होकर प्रेषित की गयी रिपोर्ट के आधार पर बिना अपने मस्तिष्क एवं विवेक का प्रयोग किये, सरसरी तौर पर विधि विरुद्ध तरीके से निस्तारित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त निस्तारण मस्तिष्क की अप्रयोज्यता के दोष से ग्रस्त है। इस कारण त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-25/2017/857/38-4-17-14 (विविध)/2016 टी०सी० दिनांक-22 अगस्त 2017 में वर्णित व्यवस्था का क्रमशः जाँच अधिकारी व नियोक्ता अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। तथा मनगढ़न्त व विधि विरुद्ध तरीके से आदेश पारित किये जाने के कारण न्यायहित में, उपरोक्त वर्णित शासनादेश के आलोक में, प्रश्नगत आदेश को संशोधित करते हुये वसूली पर तत्काल रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

4- यह कि प्रश्नगत आदेश पूर्णतः जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर आधारित है। जाँच अधिकारी द्वारा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण व संलग्न साक्ष्यों का बिना विधिवत परिशीलन एवं स्थलीय जाँच किये बिना ही, केवल कार्यालय में बैठकर, जल्दबाजी में, सरसरी तौर पर जाँच आख्या प्रेषित की गई है जबकि विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा इनके विरुद्ध दिये गये प्रार्थना पत्रों क्रमशः 24.04.2025 एवं 30.04.2025 से क्षुब्ध होकर जाँच अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसके कारण से स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया नियोक्ता अधिकारी का आदेश न्यायहित में संशोधित किये जाने योग्य है।

5- यह कि जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पूर्णतया भ्रामक व समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के पूर्णतः विपरीत होने के कारण, इसके आधार पर जारी प्रश्नगत आदेश संशोधित किये जाने योग्य है। व प्रार्थी द्वारा विधि विरुद्ध आवास की धनराशि की वसूली प्रार्थी के वेतन से किया जाना पूर्णतः विधि विरुद्ध व निरस्त किये जाने योग्य है।

6- यह कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश को जाँच अधिकारी द्वारा नजरअन्दाज करते हुये सरसरी तौर से बिना किसी तर्क व खण्डन के जाँच आख्या प्रेषित करने के कारण उसके आधार पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रश्नगत आदेश विधिविरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण, न्यायहित में आवास की धनराशि की वसूली प्रार्थी के वेतन से किये जाने की कार्यवाही स्थगित करने व प्रश्नगत आदेश संशोधित किये जाने योग्य है।

7- यह कि अपीलकर्ता के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत श्रीमान् उप निदेशक (पंचायत) चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा के पास निम्न आधारों के साथ अपील दायर करने का अधिकार है। तथा प्रश्नगत अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विपरीत विधि विरुद्ध आदेश पारित कर वेतन अवरुद्ध करते हुये देयक / भुगतान पर रोक लगा रखी है। जिससे अपीलकर्ता के परिवार के समक्ष जीविका का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है तथा परिवार के भरण-पोषण का समस्त भार आपत्तिकर्ता पर ही निहित है। जिसको संज्ञान में रखते हुए आवास की धनराशि की वसूली प्रार्थी के वेतन से कराये जाने सम्बन्धी आदेश पर न्यायहित में तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

8- यह कि आपत्तिकर्ता के विरुद्ध प्रश्नगत अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 16.05.2025 मनमाना तथा विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 का खुला

उल्लंघन है। क्योंकि वसूली हेतु कुल राशि के समायोजन तक किशतों का भुगतान करने तथा माह जुलाई की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश दिया गया है। जबकि यहाँ उल्लेख करना समाचीन है कि श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी नरैनी व पटल सहायक लेखाकार ब्लाक नरैनी धनराशि अवमुक्त करने के लिये पूर्णतयः उत्तरदायी है। क्योंकि आवास की धनराशि का भुगतान श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी तथा पटल सहायक/आवास लेखाकार के संयुक्त डोंगल से किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध व संशोधित किये जाने योग्य है।

9- यह कि अपीलकर्ता का पे ग्रेड अच्छा नहीं है। तथा उसे पर्याप्त कारण बताते हुये दण्डित करते हुये जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2025 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील 1999) के नियम-3 के प्राविधानों के विपरीत है। तथा आपत्तिकर्ता / अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित किये गये आदेश में प्रार्थी के विरुद्ध कई दण्ड प्रचलित कर दिये गये है। जबकि 1 दण्ड ही दिया जाना न्यायोचित था तथा प्रार्थी की वेतन वृद्धि अवरुद्ध करते हुये, वेतन आहरण पर रोक लगाया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः अपीलकर्ता वेतनवृद्धि की अवरुद्धता समाप्त करते हुये, आपत्तिकर्ता की पूर्ण अवरुद्ध वेतन वृद्धि आदेश पत्रांक-1449 दिनांक 03.12.2020 पर भी विचार करते हुये दिनांक 01.07.2021 सहित समस्त देयकों का अविलम्ब भुगतान कराते हुये अपीलकर्ता को न्याय प्रदान किये जाने हेतु आदेश प्रदान करते हुये अविलम्ब भुगतान कराये जाये। जिससे प्रार्थी न्याय पा सके।

10-यह कि आपत्तिकर्ता का यहाँ उल्लेख करना समाचीन है कि अपीलकर्ता ने श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी नरैनी के समक्ष आधार कार्ड एवं पासबुक सहित निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सभी सही दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, अतः उक्त प्रकरण में अपीलकर्ता की ओर से कोई दोषसिद्ध नहीं होता है। वह दोषी नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध विरचित किये गये आरोप पत्र में शिकायतकर्ता का बैंक खाता संलग्न है। 12100100017532 ही अंकित किया गया था अतः अपीलकर्ता के विरुद्ध पारित किया गया आदेश दिनांक 16.05.2025 पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अतः उक्त में अपीलकर्ता दोषी नहीं है। अतः उक्त आदेश में न्यायहित में संशोधित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

11-यह कि अपीलकर्ता ने गठित किये गये आरोप पत्र में, गठित किये गये आरोपों का पुरजोर खण्डन किया है तथा जाँच अधिकारी को विस्तृत स्पष्टीकरण तथा विधि अनुसार साक्ष्य भी उपलब्ध कराये, परन्तु जाँच अधिकारी द्वारा उनका विधिवत् परिशीलन नहीं किया गया तथा बिना स्थलीय सत्यापन किये ही सरसरी तौर पर द्वेषभावना से ग्रस्त होकर कुंठित मानसिकता सहित अपनी जाँच रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी जिसकी शिकायत मुझ अपीलकर्ता के द्वारा कार्यालय में रजि० पत्र एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिया था जिसके परिणामस्वरूप जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच आख्या में अपनी मंशा प्रकट करते हुये आरोप पत्र में गठित आरोपों के लिये आपत्तिकर्ता को दोषी माना है। जो कि न्याय निर्णयन के विपरीत है।

12-यह कि अपीलकर्ता के विरुद्ध जाँच अधिकारी ने पाँचवा आरोप विरचित किया कि वह 15 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1999 के प्रावधानों के अनुसार उचित आचरण न करने का दोषी पाया गया है। ततसम्बन्ध में आपत्तिकर्ता / अपीलकर्ता ने पुरजोर खण्डन किया तथा विस्तृत उत्तर पत्रावली पर उपलब्ध है तथा यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता ने ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यन्त निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। परन्तु जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पारित आदेश दि०-16.05.2025 के द्वारा जिसमें उन्होने तथ्यों तथा साक्ष्यों पर स्वयं के न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना निलंबन आदेश को बहाल कर दिया और ब्लाक महुआ जिला-बाँदा में तैनात कर दिया गया तथा सजा भी प्रावधानित की गयी जिसमें अपीलकर्ता को निर्देश भी किया कि परियोजना निदेशक डी०आर०डी०ए०, बाँदा ने

लाभार्थी शारदा पुत्र कुनौवा को एक महीने के भीतर आवास की धनराशि अर्थात् मु0-1,20,000/- रुपये प्रदान किये जिसे बाद में प्राप्त कर लिया जाये अन्यथा जून माह के वेतन से 1/3 वेतन काट लिया जायेगा उक्त आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है।

13-यह कि अपीलकर्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर लाभार्थियों के आवासों का निरीक्षण व जियो टैगिंग भी किया है तथा उक्त ग्रामसभा में आवास के लाभार्थियों की संख्या-175 थी, प्रत्येक सभी में मेरे द्वारा समय-समय पर उपस्थित होकर निरीक्षण किया गया है तथा बाद निरीक्षण मामला संज्ञान में आने पर कि शारदा पुत्र कुनौवा के आवास की धनराशि ब्लाक स्तरीय कर्मचारियों की लापरवाही से ग्राम पंचायत बघेलावारी के कमलेश के खाते में अंतरित कर दी गयी है। जिसमें अपीलकर्ता के द्वारा तत्काल उक्त की जानकारी श्रीमान् खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी व पटल सहायक को दिनांक-25.10.2024 को पत्र द्वारा अवगत भी कराया था, परन्तु उक्त प्रश्नगत अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा आपत्तिकर्ता के ग्राम पंचायत तुरा के कार्यालय लेटर हैड पर श्रीमती रूपा पत्नी कमलेश को दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर पैसा वापस करने हेतु कार्यवाही की थी तथा अपीलकर्ता पर लगाया गया आरोप सं0-4 भी सिद्ध नहीं होता जिसका परिशीलन जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा न कर आपत्तिकर्ता को ही दोषी मानते हुये त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित कर दिया गया है। जिसे संशोधित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

14-यह कि अपीलकर्ता के द्वारा जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर गठित आरोप पत्र के प्रत्येक बिन्दुओं पर अपना खण्डन तथा तर्क साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराये, परन्तु उक्त के द्वारा बिना न्याय मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण के आधार पर ही विधि विपरीत जाँच आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मस्तिष्क की अप्रयोजिता से त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित कर अपीलकर्ता का शारीरिक तथा मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न करते हुये अपीलकर्ता के विरुद्ध कई दण्ड लगाते हुये अपीलकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया, परन्तु वेतन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किश्त धनराशि की कटौती, तथा वेतन पर रोक, एवं वेतन वृद्धि स्थाई रूप से अवरुद्ध कर कठोर चेतावनी के साथ कर दिये जबकि अपीलकर्ता उपरोक्त आरोपों के विपरीत अपने स्पष्टीकरण में प्रत्येक आरोप के समुचित उत्तर तर्क तथा साक्ष्य के साथ पहले ही जाँच अधिकारी को प्रेषित कर चुका था, परन्तु प्रश्नगत अधिकारी ने बिना किसी तर्क व खण्डन के जाँच अधिकारी की आख्या को ही आधार मानते हुये त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित कर प्रार्थी का उत्पीड़न किया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता को मा० उच्च न्यायालय की शरण में जाकर याचना करना पड़ा जिसकी रिट पिटीशन सं0-11006/2025 जनपद-बाँदा राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अधिकारी द्वारा वसूली से सम्बन्धित आदेश था जिस पर अपीलकर्ता का माह जून 2025 का वेतन कटौती 1/3 कर आवास लाभार्थी हेतु किया गया था, पर पूर्णतः रोक लगाते हुये वेतन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करते हुये श्रीमान् उप निदेशक (पंचायत) चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये 3 माह के भीतर उक्त अपील का निस्तारण किये जाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये है। आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत अपील के साथ प्रेषित करते हुये ससमय अपील निस्तारित कर प्रश्नगत आदेश दिनांक-16.05.2025 संशोधित करते हुये अपीलकर्ता को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रश्नगत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.05.2025 संशोधित करते हुये अपीलकर्ता के वेतन से आवास की धनराशि न काटते हुये व पिछले सभी वेतन वृद्धियाँ समाहित करते हुये समस्त देयकों का ससमय भुगतान किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत अपील स्वीकार

करने की कृपा करें। श्रीमान् जी की महान दया होगी।"

13. The appellate order dated 14.11.2025 reads as under:

"उपरोक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा प्राप्त कराये गये प्रत्यावेदन व संलग्न साक्ष्य तथा श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी की उपलब्ध व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न अभिलेखों / साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 के आवंटित ग्राम पंचायतों में 14 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा मात्र 05 आवासों को ही पूर्ण कराया गया। शेष आवासों को पूर्ण न कराये जाने तथा अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं के कार्यों में रुचि न लिए जाने के दृष्टिगत जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के कार्यालय पत्रांक-1324 दिनांक 17.11.2020 के द्वारा इनके विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत किया गया था तथा बाद में पत्रांक-1449 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी की एक वेतन वृद्धि 01.07.2021 को स्थायी रूप से रोकते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी थी।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० के पत्रांक-1067/वि०कार्य० /2005 दिनांक 08.07.2005 के द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवास हेतु किसी अपात्र लाभार्थी का चयन किया जाता है तो सन्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-1019/38-9-2008-654 दिनांक 25 जून, 2009 में भी चयनित लाभार्थी को अपात्र पाये जाने पर ग्राम स्तरीय अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी माना जायेगा, अंकित है।

उपरोक्तानुसार जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या एवं पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 के आवंटित ग्राम पंचायतों में 14 आवासों के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1449 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही और आयुक्त ग्राम्य विकास के उल्लिखित पत्र दिनांक 06.07.2005 तथा प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास के शासनादेश दिनांक 25.06.2009 के क्रम में अपीलार्थी श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा द्वारा अपने आदेश पत्रांक-375, दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से दिये गये समस्त दण्डों से सहमत होते हुए अपीलार्थी को दण्डादेश में अनुतोष प्राप्त करने का पात्र नहीं पाया गया है।

अतः जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के दण्डादेश पत्रांक-375 दिनांक 16.05.2025 को यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.08.2025 के समादर में अपीलार्थी/ राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड-महुआ का प्रत्यावेदन दिनांक 18.08.2025 एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।"

14. A bare look of the order impugned would reveal that none of the contentions so set forth by the writ petitioner have been considered.

15. In the opinion of the Court that once certain grounds are taken in appeal then the appellate authority is under legal obligation to consider the said grounds this way or that way, they cannot be conveniently overlooked. Since

the appellate order does not deal with the contentions so set forth, thus, the appellate order cannot be sustained.

16. Accordingly, the writ petition is being **allowed** in part.

(a). The impugned order dated 14.11.2025 passed by the **Deputy Director (Panchayat) Chitrakoot Dham Mandal** Banda, respondent no. 2 is set aside.

(b). The matter stands remitted back to pass fresh order strictly in accordance with law after within a period of two months from the date of presentation of the certified copy of the order.

17. Accordingly, the writ petition stands **disposed of**.

February 4, 2026

Ashu

(Vikas Budhwar,J.)